

1021

पृष्ठांकन क्रमांक / 279/S.W./F-33/2024

देवास, दिनांक- 11 / 04 / 2024

**प्रतिलिपि:-**

01. श्री मनीष सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवास
02. श्री उमाशंकर अग्रवाल, द्वितीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवास
03. श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, तृतीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवास
04. श्री यशपाल सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवास
05. श्री अभिषेक गौड़, पंचम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवास
06. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास
07. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय, देवास
08. समस्त थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र देवास/बरोठा/टोंकखुर्द, जिला-देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास/टोंकखुर्द की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित

*(अजय प्रकाश मिश्र)*  
11/7/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
देवास (म.प्र.)

## कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक / 73 / S.W./F-33 / 2024


देवास, दिनांक-11.07.2024

### :0: कार्य विभाजन संशोधन आदेश :0:

इस न्यायिक स्थापना पर कार्यरत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में लंबित प्रकरणों की संख्या के दृष्टिगत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किए जाने के प्रयोजन से कार्य विभाजन आदेश क्र. 51 / S.W./F-33/2024 दिनांक 02.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार अधिकरणों को मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता है :-

अनु. क्र.	अधिकरण का नाम	आरक्षी केन्द्र का नाम	रिमार्क
01.	सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	1. सिटी कोतवाली, देवास 2. औद्योगिक क्षेत्र, देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।
02.	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	बैंक नोट प्रेस, देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।
03	द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	विजयागंज मण्डी, देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।
04.	तृतीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	नाहर दरवाजा, देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।
05.	चतुर्थ अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	सिविल लाईन, देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।
06.	पंचम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास	1. बरोठा, जिला-देवास 2. टोंकखुर्द, जिला-देवास	वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले सम्बंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां ।

यह आदेश, कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51 / S.W./F-33/2024 दिनांक 02.05.2024 का अंग रहेगा एवं तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

  
**(अजय प्रकाश मिश्र)**  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 देवास (म0प्र0)

निश्चर - - - /21